

कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना

(प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास प्रभाग)

अरण्यभवन, शहीद पीर अली खाँ पथ (साईडिंग रोड), शेखपुरा, पटना-800014

कार्यालय आदेश-

संख्या- 37

पटना-14, दिनांक :- 19/08/2021

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत राजकीय व्यापार संबंधित कार्यों यथा वृक्षों का लोडिंग (प्रकाष्ठन), संग्रहण, परिवहन, डीपू में प्रचय निर्माण, अभिलेखों, सुरक्षा आदि कार्यों तथा डीपू में साईडिंग, पूनर्मापी, लौट निर्माण तथा काष्ठों के निलामी तक का व्यय के दर का पुर्ननिर्धारण करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश-110-सह-पठित ज्ञापांक-1359 दिनांक- 09.07.2020 से गठित शुल्क निर्धारण समिति की बैठक दिनांक- 03.08.2021 को आहूत की गयी। बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर दरों का निर्धारण निम्नवत् किया गया है :-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य दर (मानव दिवस में) (रु. 304.00 प्रति मानव दिवस)	कार्य दर (रूपये में)
1	मार्किंग हेतु छाल हटाने एवं नम्बर लेखन का खर्च	0.0272 मा.दि. प्रति वृक्ष	8.28
2	प्रकाष्ठन (लोडिंग) एवं कार्य स्थल पर जमा करना	3.87 मा.दि. प्रति घनमीटर	1176.96
3	नहर या सड़क की तलहट्टी से नहर के उपर काष्ठ उठाकर निष्कासन पथ पर लाने का खर्च (टिम्बर के लिए)	1.2217 मा.दि. प्रति घनमीटर	371.42
4	विविध व्यय - स्टेशनरी, कोलतार, पेंट, रजिस्टर, बही खाता, मार्कर, फीता आदि	0.217 मा.दि. प्रति घनमीटर	66.24
5	टी.एल./कोडिंग, बल्ला, खूँटा बनाना एवं जमा करना		
	i. खूँटा (2.44 मी. से 5.58 मी. तक)	0.089 मा.दि. प्रति पीस	27.21
	ii. बल्ला (3.60 मी. से 5.58 मी. तक)	0.175 मा.दि. प्रति पीस	53.23
	iii. घेरान/गोल टी.एल./कोडिंग का निर्माण	0.035 मा.दि. प्रति पीस	10.65
6	जलावन की लकड़ी बनवाना एवं लादने के स्थान पर जमा करना।	0.36 मा.दि. प्रति घनमीटर	110.01
7	पातन स्थल से वनोत्पाद की लोडिंग तथा वनागार में अनलोडिंग का खर्च		
	i. टिम्बर हेतु	0.964 मा.दि. प्रति घनमीटर	293.35
	ii. जलावन हेतु	0.33 मा.दि. प्रति घनमीटर	100.54

8	सुरक्षा एवं अभिलेख कार्य प्रत्येक नहर/पथ के लिए एक मानव दिवस प्रतिदिन वन प्रमंडल पदाधिकारी की अनुमति से	1 मा.दि. प्रति दिन प्रति स्थल हेतु	
परिवहन का दर (लोडिंग एवं अनलोडिंग छोड़कर)			
9	टिम्बर हेतु	विभागीय परिवहन का अनुमान्य दर	अन्य एजेंसी के लिए अनुमान्य परिवहन दर
	i. 00-50 कि.मी. दूरी के लिए (ट्रैक्टर से ढुलाई हेतु)	2588.00 प्रति घनमीटर	3074.50 प्रति घनमीटर
	ii. 51-100 कि.मी. दूरी के लिए (ट्रैक्टर से ढुलाई हेतु)	4651.00 प्रति घनमीटर	5526.00 प्रति घनमीटर
	iii. 00-50 कि.मी. दूरी के लिए (ट्रक से ढुलाई हेतु)	1782.50 प्रति घनमीटर	2117.50 प्रति घनमीटर
	iv. 51-100 कि.मी. दूरी के लिए (ट्रक से ढुलाई हेतु)	3019.00 प्रति घनमीटर	3586.00 प्रति घनमीटर
	v. 101-200 कि.मी. दूरी के लिए (ट्रक से ढुलाई हेतु)	5606.00 प्रति घनमीटर	6660.00 प्रति घनमीटर
नोट :- कम मात्रा में ढुलाई हेतु उक्त दर पर परिवहन किया जा सकता है। अधिक मात्रा में ढुलाई होने पर निविदा प्राप्त कर वास्तविक किराया जो उक्त से कम हो, का भुगतान किया जायेगा।			
डीपू के लिए दर			
1	साइडिंग पुर्नमापी तथा लौट बनाना (टिम्बर के लिए)	1.46 मा.दि. प्रति घनमीटर	445.95
2	टी.एल./कोगिंग, खूटा, रोल, पोल का पुर्नमापी लिखना एवं वर्गीकरण के अनुसार साइडिंग एवं स्टैकिंग		
	i. 300 से.मी. लम्बाई से 450 से.मी. के लिए	0.0116 मा.दि. प्रति पीस	3.55
	ii. 301 से.मी. लम्बाई से 450 से.मी. के लिए	0.0116 मा.दि. प्रति पीस	3.55
3	जलावन संग्रह करना तथा उसका लौट बनाना	0.272 मा.दि. प्रति घनमीटर	82.80
4	अग्नि सुरक्षा (संयंत्र सहित) (जून में स्टॉक के आधार पर)	0.062 मा.दि. प्रति घनमीटर	18.93
5	विविध कार्य		
	पुर्नमापी एवं लिखाई, अन्य लेखन सामग्री, रजिस्टर बहीखाता आदि (केवल नये प्राप्ति के लिए)	0.2957 मा.दि. प्रति घनमीटर	89.90
6	सुरक्षा गार्ड/रात्री प्रहरी एवं मुंशी तथा मेठ (वन संरक्षक की अनुमति से)	4 मा.दि.	
7	औजार एवं संयंत्र रस्सी, कुल्हाड़ी, आरी, कुदाल सब्बल, गैता आदि		3193.77
8	टी.एल./कोगिंग बनाना	0.0272 मा.दि. प्रति घनमीटर	8.28
9	डीपू के पथ के निर्माण, घेरान, सफाई आदि	0.0856 मा.दि. प्रति घनमीटर	26.02
10	निविदा/निलामी के लिए विविध खर्च (वास्तविक बिक्री की मात्रानुसार)	0.093 मा.दि. प्रति घनमीटर	28.39

नोट :-

1. समिति द्वारा निर्धारित दर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक का अनुमोदन प्राप्त है। उपरोक्त संशोधित दर तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।
2. सामान्यतः 50 घनमीटर से अधिक प्रकाष्ठ भंडारण होने पर ही डिपों के रूप में मान्यता दी जायेगी।
3. मजदूरी दर में वृद्धि होने पर संबंधित वन पदाधिकारी द्वारा उपर्युक्त कार्य दर परिवर्तित होगी।
4. डिपों व्यय की उक्त राशि, डिपो में पूर्ण क्षमता के अनुरूप, प्रकाष्ठ की उपलब्धता के लिए है। यदि डिपों में क्षमता से कम प्रकाष्ठ है तथा डिपों से प्रकाष्ठों की नियमित बिक्री नहीं हो रही है तब वन संरक्षक के द्वारा ऐसे डिपों हेतु निर्धारित दर को संशोधित कर व्यय की अनुमति दी जाएगी।
5. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि अपयोजन की स्थिति में पातित होने वाले वृक्षों के लिए प्रयोक्ता एजेंसी से डिपों व्यय हेतु लम्प-सम प्रति घनमीटर पर 04 मानव दिवस की राशि ली जायेगी। नये डिपों निर्माण की स्थिति में वास्तविक के आधार पर प्राक्कलन तैयार कर प्रयोक्ता एजेंसी से राशि प्राप्त की जायेगी।
6. अन्य एजेंसी के लिए 9% CGST, 9% SGST एवं 1% लेबर-सेस का अलग से भुगतान करने का प्रावधान होगा।

ह0/-

(ए०के० द्विवेदी)

मुख्य वन संरक्षक,

प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- HRD/243

पटना-14, दिनांक :- 19-08-2021

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, पारिस्थितिकी पर्यावरण एवं वन, बिहार/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए०के० द्विवेदी)

मुख्य वन संरक्षक,

प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास,

बिहार, पटना।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों के चिरान एवं
गोल प्रकाष्ठ के दर का पुनर्निर्धारण।

1 message

CCF HRD Bihar, Patna <ccfhrdbihar@gmail.com>

Thu, Aug 19, 2021 at 6:36 PM

To: directorecologybihar@gmail.com, rccfmuzaffarpur@gmail.com, RCCF BHAGALPUR <rccfbgpr@gmail.com>, "Regional Chiefconservator of Forest, Bihar, Patna" <patnarccf@gmail.com>, "C.F. Wildlife" <cfwildlifecircle@gmail.com>, cfbgpr@gmail.com, fdvalmikitr@gmail.com, cfpurnia@gmail.com, cfpurnia-bih@gov.in, Conservator of Forests <cfpatnacircle@gmail.com>, cfgaya@gmail.com, cfmuzaffarpur@gmail.com, cfsiwan@gmail.com, cfwppatna@gmail.com, dfowildlifemunger@gmail.com, gayadfo@gmail.com, jamuidfo@gmail.com, rohtasdf@yahoo.co.in, Arvind Kumar <dfobegusarai@gmail.com>, patnazoo@yahoo.com, wpopatna@gmail.com, DFO Bettiah <dfo.bth@gmail.com>, dfo1vtr@gmail.com, dfobettiah2@gmail.com, scott hall <dfobhojpurfddivision@gmail.com>, Nalanda Forest Division <dfonalandafdivision@gmail.com>, kaimurdfo@gmail.com, dfogopalganj2@gmail.com, dfonawada <dfonawada@rediffmail.com>, DFO AURANGABAD <aurangabaddfo@gmail.com>, dfomuz@gmail.com, dfodarbhanga@gmail.com, divfosaran-bih@gov.in, dfortpd@yahoo.in, DFO Banka <dfo.banka@gmail.com>, dfopurneabihar@gmail.com, dfopurnia-bih@gov.in, dfoararia@gmail.com, dfopatnafdivision@gmail.com, dfomotihari@gmail.com, dfo bhagalpur <dfobhagalpur@gmail.com>, Ramchandra Pandey <dfosamastipur@gmail.com>, VAISHALI DFO <vaishalidfo@gmail.com>, nand.kmanjhi59@gov.in, dfo sitamarhi <dfositamarhi@gmail.com>, SANJAY PRAKASH <supauldfo@gmail.com>, dfo saharsa <dfosaharsa@gmail.com>, directorsfti@gmail.com, parkdivisionpatna@gmail.com, rajgirzoosafari@gmail.com

Chief Conservator of Forest,
Administration & HRD,
Bihar, Patna.



CCFHRD Order No-37-Cum-Memo No. 243 Dated 19.08.2021.pdf

1101K